रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 474] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 1974/कार्तिक 28, 1896
No. 474] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 1974/KARTIKA 28, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

Central Secretariat Lib. Govt. of India

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATIONS

Calcutta, the 19th November, 1974

S.O. 661(E).—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, I, S. N. Chakravartee, Jute Commissioner, hereby direct that the powers vested in me by sub-clauses (a), (b) and (c) of clause 11 of the above Order shall be exercised also by the following officials of the Government of Andhra Pradesh until further orders:—

1. Deputy Director of Agriculture (Mesta), Srikakulam;
2. Assistant Director of Agriculture (Mesta), Parvathipuram, Srikakulam District;
3. Assistant Director of Agriculture (Mesta), Srikakulam;
4. Deputy Director of Agriculture (Regular), Visakhapatnam;
5. Assistant Director of Agriculture (Regular), Visakhapatnam;
6. Assistant Director of Agriculture (Regular), Anakapalli, Visakhapatnam District.

Explanation.—Each of the above officials shall exercise the said powers within the respective territorial jurisdiction as notified by the Government of Andhra Pradesh.

[No. 8(1)/74-Tex-VII.]

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

कलकत्ता, 19 नवम्बर, 1974

का० आ० 661(अ).—पटसन (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० एन० चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, यह निदेश देता हूं कि उक्त आदेश के खण्ड 11 के उप-खण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग, आगे आदेश होने तक, आन्ध्र प्रदेश सरकार के निम्नलिखित पदधारियों द्वारा भी किया जाएगा :—

1. उप-निदेशक, कृषि (मेस्टा), श्री काकुलम्;
2. सहायक निदेशक, कृषि (मेस्टा), पार्वतीपुरम्, श्रीकाकुलम् जिला ;
3. सहायक निदेशक, कृषि (मेस्टा), श्रीकाकुलम् ;
4. उप निदेशक, कृषि (नियमित), विशाखापत्तनम् ;
5. सहायक निदेशक, कृषि (नियमित), विशाखापत्तनम् ;
6. सहायक निदेशक, कृषि (नियमित), अनकापल्ली, विशाखापत्तनम् जिला ।

स्पष्टीकरण :—उपयुक्त पदधारियों में से प्रत्येक पदधारी आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अपनी अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[सं 8(1)/74-टेक्स-VII]

S.O. 662(E).—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, I, S. N. Chakravartee, Jute Commissioner, hereby direct that the powers vested in me by sub-clauses (a), (b) and (c) of clause 11 of the above Order shall be exercised also by the following officials of the Government of Bihar until further orders:—

1. Jute Development Officer, Bihar, Samastipur;
2. Joint Director of Agriculture, Muzaffarpur/Bhagalpur;
3. Special Deputy Director of Agriculture, Purnea;
4. District Agriculture Officer, Muzaffarpur/Darbhanga/Santhal Parganas;
5. Assistant Director of Agriculture, Saharsa/Motihari; and
6. Assistant Director of Agriculture Marketing (Jute), Purnea.

Explanation.—Each of the above officials shall exercise the said powers within the respective territorial jurisdiction as notified by the Government of Bihar.

[No. 8(1)/74-Tex-VII.]

का०आ० 662(अ).—पटसन (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० एन० चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, यह निदेश देता हूं कि उपर्युक्त आदेश के खण्ड 11 के उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) द्वारा मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग, आगे आदेश होने तक, बिहार सरकार के निम्नलिखित पदधारियों द्वारा भी किया जाएगा :—

1. पटसन विकास अधिकारी, बिहार, समस्तीपुर ;
2. संयुक्त निदेशक, कृषि, मुजफ्फरपुर/भागलपुर ;
3. विशेष उप-निदेशक, कृषि, पूर्णिया ;

4. जिला कृषि अधिकारी, मुजफरपुर/दरभंगा/संथाल परगना ;

5. सहायक निदेशक, कृषि, सहरसा/मोतिहारी ; और

6. सहायक निदेशक, कृषि विपणन (पटसन), पूर्णिया ।

स्पष्टीकरण .—उपर्युक्त पदधारियों में से प्रत्येक पदधारी, बिहार सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अपनी अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[सं 8(1)/74-टेक्स-VII]

S.O. 663(E).—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, I, S. N. Chakravartee, Jute Commissioner, hereby direct that the powers vested in me by sub-clauses (a), (b) and (c) of clause 11 of the above Order shall be exercised also by the following officials of the Government of West Bengal until further orders:—

1. Additional Director of Agriculture (Jute), West Bengal;
2. Joint Director of Agriculture, Jalpaiguri Range/Kalyani Range/Alipore Range/Midnapore Range/Bankura Range/Burdwan Range;
3. Joint Director of Agriculture Marketing;
4. Additional Director of Agriculture (Marketing);
5. Superintendent of Agriculture Marketing, Jalpaiguri/Kalyani/H.Q./Burdwan;
6. Principal Agricultural Officer, West Dinajpur/Murshidabad/Nadia/24-Parganas (North)/24-Parganas (South)/Hooghly/Midnapore (East)/Midnapore (West)/Birbhum;
7. District Agricultural Officer, Malda/Howrah/Jalpaiguri/Cooch Behar/Darjeeling/Purulia/Burdwan;
8. Assistant Jute Development Officers;
9. Senior Field Supervisors;
10. Jute Development Inspectors; and
11. Agricultural Extension Officer of all N.E.S. Blocks except Blocks in hill subdivision of Darjeeling District, Jhargram sub-division of Midnapore District and Purulia District.

Explanation.—Each of the above officials shall exercise the said powers within the respective territorial jurisdiction as notified by the Government of West Bengal.

[No. 8(1)/74-Tex-VII.]

का० आ० 663(अ).—पटसन (अनुज्ञापन तथा नियन्त्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० एन० चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, यह निदेश देता हूं कि उपर्युक्त आदेश के खण्ड 11 के उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) द्वारा मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग; आगे आदेश होने तक, पश्चिमी बंगाल सरकार के निम्नलिखित पदधारियों द्वारा भी किया जाएगा :—

1. अपर निदेशक, कृषि (पटसन), पश्चिमी बंगाल) ;
2. संयुक्त निदेशक, कृषि, जलपाइगुड़ी रेंज/कल्याणी रेंज/अलीपुर रेंज/मिदनापुर रेंज/बांकुरा रेंज/बर्दवान रेंज ;
3. संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन ;
4. अपर निदेशक, कृषि (विपणन) ;
5. अधीक्षक, कृषि विपणन, जलपाईगुड़ी/कल्याणी/मुख्यालय/बर्दवान ;
6. प्रधान कृषि अधिकारी, पश्चिम दीनाजपुर/मुर्शिदाबाद/नादिया/24-परगना (उत्तर)/24-परगना (दक्षिण)/हुगली/मिदनापुर (पूर्व)/मिदनापुर (पश्चिम)/बीरभूम;

7. जिला कृषि अधिकारी, मालदा/हावड़ा/जलपाईगुड़ी/कूच बिहार/दार्जिलिंग पुरुलिया/बर्दवान;

8. सहायक पटसन विकास अधिकारी;

9. वरिष्ठ क्षेत्र-पर्यवेक्षक;

10. पटसन विकास निरीक्षक; तथा

11. जिला दार्जिलिंग के पर्वतीय उप-खण्ड, मिदनापुर जिले के झरगांव उप-खण्ड, तथा पुरुलिया, जिले के ब्लाकों को छोड़कर, सभी राष्ट्रीय विस्तार सेवा ब्लाकों का कृषि विस्तार अधिकारी।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त पदधारियों में से प्रत्येक पदधारी, पश्चिम बंगलक सरर द्वारा यथा अधिसूचित, अपनी अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

[सं 8(1)/74-टेक्स-VII]

S.O. 664(E).—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, I, S. N. Chakravartee, Jute Commissioner, hereby direct that the powers vested in me by sub-clauses (a), (b) and (c) of clause 11 of the above Order shall be exercised also by the following officials of the Government of Orissa until further orders:—

1. Deputy Director of Agriculture (Jute);
2. Jute Package Officer;
3. District Agricultural Officer, Kendrapara;
4. District Agricultural Officer, Athagarh;
5. District Agricultural Officer, Tajpur;
6. District Agricultural Officer, Cuttack;
7. District Agricultural Officer, Balasore;
8. District Agricultural Officer, Bhadrak;
9. District Agricultural Officer, Keonjhar;
10. Assistant Director of Agriculture, (Mesta);
11. District Agricultural Officer, Koraput;
12. District Agricultural Officer, Rayagada;
13. District Agricultural Officer, Nawrangpur;
14. District Agricultural Officer, Bolangir; and
15. Joint Registrar, Cooperative (Marketing).

Explanation.—Each of the above officials shall exercise the said powers within the respective territorial jurisdiction as notified by the Government of Orissa.

[No. 8(1)R74-Tex-VII.]

का० आ० 664 (अ).—पटसन (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० एन० चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, यह निदेश देता हूं कि उपर्युक्त आदेश के खण्ड 11 के उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) द्वारा मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग, आगे आदेश होने तक, उड़ीसा सरकार के निम्नलिखित पदधारियों द्वारा भी किया जाएगा :—

1. उप-निदेशक, कृषि (पटसन);
2. पटसन पैकेज अधिकारी;
3. जिला कृषि अधिकारी, केन्द्रपाड़ा,

4. जिला कृषि अधिकारी, अतहागढ ;

5. जिला कृषि अधिकारी, जाजपुर ;

6. जिला कृषि अधिकारी, कटक ;

7. जिला कृषि अधिकारी, बालासोर ,

8. जिला कृषि अधिकारी, भादरक ;

9. जिला कृषि अधिकारी, किओंझर ,

10. सहायक निदेशक, कृषि (मेस्टा) ,

11. जिला कृषि अधिकारी, कोरापुट ;

12. जिला कृषि अधिकारी, रायगाडा ;

13. जिला कृषि अधिकारी, नौरंगपुर ;

14. जिला कृषि अधिकारी, बोलनगीर ; तथा

15. संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी (विपणन) ।

स्पष्टीकरण : उपयुक्त पदधारियों में से प्रत्येक पदधारी, उड़ीसा सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अपनी अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[सं० 8 (1)/74-टैक्स- VII]

S.O. 665(E).—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Jute (Licensing d Control) Order, 1961, I, S. N. Chakravartee, Jute Commissioner, hereby direct that : powers vested in me by sub-clauses (a), (b) and (c) of clause 11 of the above Order all be exercised also by the following officials of the Government of ipura until further orders:—

1. Sub-Divisional Officer, Sadar, P.O. Agartala, West Tripura.
2. Sub-Divisional Officer, Khowai, P.O. Khowai, West Tripura.
3. Sub-Divisional Officer, Sonamura, P.O. Sonamura, West Tripura.
4. Sub-Divisional Officer, Kamalpur, P.O. Kamalpur, North Tripura.
5. Sub-Divisional Officer, Kailashahar, P.O. Kailashahar, North Tripura.
6. Sub-Divisional Officer, Dharmanagar, P.O. Dharmanagar, North Tripura.
7. Sub-Divisional Officer, Udaipur, P.O. Radhakishorepur, South Tripura.
8. Sub-Divisional Officer, Amarpur, P.O. Amarpur, South Tripura.
9. Sub-Divisional Officer, Belonia, P.O. Belonia, South Tripura.
10. Sub-Divisional Officer, Sabroom, P.O. Sabroom, South Tripura.

Explanation.—Each of the above officials shall exercise the said powers within the respective territorial jurisdiction as notified by the Government of Tripura.

[No. 8(1)/74-Tex-VII.]

का० आ० 665 (अ)—पटसन (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० एन० चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, यह निदेश देता हूं कि उक्त आदेश के खण्ड 11 के उप-खण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा मुझ में निहित शक्तियों का प्रयोग, आगे आदेश होने तक, त्रिपुरा सरकार के निम्नलिखित पदधारियों द्वारा भी किया जाएगा :—

1. उप-खण्ड अधिकारी, सदर, डाकघर अगरतल्ला, पश्चिमी त्रिपुरा ;
2. उप-खण्ड अधिकारी, खोवाई, डाकघर खोवाई, पश्चिमी त्रिपुरा ;
3. उप-खण्ड अधिकारी, सोनामूरा, डाकघर सोना मूरा, पश्चिमी त्रिपुरा ;
4. उप-खण्ड अधिकरी, कमालपुर, डाकघर कमालपुर, उत्तरी त्रिपुरा ;
5. उप-खण्ड अधिकारी, कैलाशहर, डाकघर कैलाशहर, उत्तरी त्रिपुरा ;
6. उप-खण्ड अधिकारी, धर्मनगर, डाकघर धर्मनगर, उत्तरी त्रिपुरा ;
7. उप-खण्ड अधिकारी, उदयपुर, डाकघर राधाकिशोरपुर, दक्षिणी त्रिपुरा ;
8. उप-खण्ड अधिकारी, अमरपुर, डाकघर अमरपुर, दक्षिणी त्रिपुरा ;
9. उप-खण्ड अधिकारी, बेलोनिया, डाकघर बेलोनिया, दक्षिणी त्रिपुरा ;
10. उप-खण्ड अधिकारी, सबरुम, डाकघर सबरुम, दक्षिणी त्रिपुरा ।

स्पष्टीकरण :— उपर्युक्त पदधारियों में से प्रत्येक पदधारी, त्रिपुरा सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अपनी अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[सं० 8(1)/74-टेक्स-VII]

S.O. 666(E).—In exercise of the powers conferred by clause 11 of the Jute (Licensing and Control) Order, 1961, I, S. N. Chakravartee, Jute Commissioner, hereby direct that the powers vested in me by sub-clauses (a), (b) and (c) of clause 11 of the above Order shall be exercised also by the following officials of the Government of Uttar Pradesh until further orders:—

1. Jute Development Officer, Uttar Pradesh, Lucknow;
2. Field Jute Development Officer, Lakhimpur, Kheri;
3. District Agriculture Officer, Lakhimpur Kheri/Bahraich/Gonda/Sitapur and Deoria;
4. Deputy Director of Agriculture, Lucknow and Faizabad Division;
5. Joint Director of Agriculture (Seeds and Development), Uttar Pradesh, Lucknow.

Explanation.—Each of the above officials shall exercise the said powers within the respective territorial jurisdiction as notified by the Government of Uttar Pradesh.

[No. 8(1)/74-Tex-VII.]

S. N. CHAKRAVARTEE,
Jute Commissioner.

का० आ० 666 (अ).—पटसन (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1961 के खण्ड 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एस० एन० चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, यह निदेश देता हूं कि उक्त आदेश के खण्ड 11 के उप-खण्ड (क), (ख) और (ग) द्वारा मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग, आगे आदेश होने तक, उत्तर प्रदेश सरकार के निम्नलिखित पदधारियों द्वारा भी किया जाएगा :—

1. पटसन विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ;
2. क्षेत्र पटसन विकास अधिकारी, लखीमपुर खीरी ;
3. जिला कृषि अधिकारी, लखीमपुर खीरी / बहराइच / गोंडा / सीतापुर और देवरिया ;
4. उप निदेशक, कृषि, लखनऊ और फैजाबाद खण्ड ;
5. संयुक्त निदेशक, कृषि (बीज और विकास), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

स्पष्टीकरण.—उपर्युक्त पदधारियों में से प्रत्येक पदधारी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अपनी अपनी प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर उक्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

[सं० 8(1)/74-टेक्स-VII]

एस० एन० चक्रवर्ती,
पटसन आयुक्त ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974